# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील / डिक्री / टीए / 761 / 2006 / सीकर**

1— प्रेमी पत्नी स्व. रामू
2— जगदीश पुत्र स्व. लक्ष्मण
3— मु. शांतिदेवी पत्नी स्व. लक्ष्मण
4— मु. पतासी पुत्र स्व. लक्ष्मण
5— मु. गीता पुत्री स्व. लक्ष्मण
जाति जाट निवासीगण कुमास जाटान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

**.....अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1— दयाराम पुत्र मेवाराम जाति जाट निवासी कुमास जाटन तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2— उपपंजीयक तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3— नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4— पटवारी हल्का, कुमास जाटान, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

**..... प्रत्यर्थीगण**

**खण्ड—पीठ**
**डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य**
**कमला अलारिया, सदस्य**

**उपस्थित :**
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री माधवराज, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

**निर्णय**

**दिनांकः— 20—8—2025**

**1—** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21—12—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

**2—** प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 148 रकबा 1.64 हैक्टर वाके ग्राम कुमास जाटान तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित उक्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार लक्ष्मण व रामू थे तथा प्रत्येक का विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्सा निहित था तथा अपने हिस्से अनुसार वे काबिज काश्त थे। रामू ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि में से 0.25 हैक्टर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिफल लेकर दिनांक 30—04—2001 को वादी को विक्रय कर दी। वादी द्वारा राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने, उसे खातेदार घोषित किये जाने, बंटवारा व प्रतिवादीगण को पाबंद करने का अनुतोष उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर न्यायालय से चाहा गया। दौराने वाद पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को मुंतकिल कर दी गई जिसकी सूचना अपीलार्थीगण व उनके वकील को प्राप्त नहीं हुई। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए निर्णय दिनांक 19—06—2003 को प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी का दावा डिक्री कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण की अपील मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

**3—** उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

**4—** विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला बल्कि प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ को मुंतकिल कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28—06—2002 की आदेशिका पर न तो स्थानांतरण के बाबत अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर है तथा स्थानांतरित पत्रावली की सूचना अपीलार्थीगण व उनके वकील को प्राप्त नहीं हुई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के द्वारा अपीलार्थीगण को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस दिए बिना ही एक्स पार्टी आदेश जारी कर दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया परंतु अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण के शपथ पत्र पर अविश्वास प्रकट करते हुए उसे खारिज कर दिया।

**5—** उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के समक्ष नियत पेशी दिनांक 28—06—2002 को पत्रावली उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को मुंतकिल की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के समक्ष तारीख पेशी दिनांक 6—8—2022, 19—9—2002, 07—11—2002, 5—12—2002, 28—01—2003, 20—2—2003 व 25—03—2003 को अपीलार्थीगण के वकील की उपस्थिति तहत न्यायालय के फर्द अहकाम पर है। बहस में विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के वकील ने दिनांक 6—5—2003 को स्वेच्छा से अपनी उपस्थिति बंद कर दी जिसके पश्चात निर्णय दिनांक 19—6—2003 को हुआ। जिससे यह साबित होता है कि अपीलार्थीगण का यह कथन असत्य है कि उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिला। अपीलार्थीगण को पत्रावली के उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के समक्ष लंबित होने की पूर्ण जानकारी थी तथा उनका वकील भी नियत पेशीयों पर उपस्थिति देता रहा। अपीलार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुए हैं तथा उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उत्तर नहीं दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त आराजीयात का सद्भावी क्रेता है तथा उसने आराजी पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की है तथा वह आराजी पर मकान आदि बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में डिक्री जारी करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

**6—** हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील मीमों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से आद्योपांत अध्ययन किया।

**7—** प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के समक्ष प्रस्तुत दावे में अपीलार्थीगण की ओर से दिनांक 13—05—2002 को अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर पत्रावली दिनांक 28—6—2002 को जवाबदावे हेतु मुकर्रर की गई थी। दिनांक 28—6—2002 की आदेशिका अनुसार पत्रावली जिला कलक्टर सीकर के आदेश अनुसार उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ न्यायालय को मुंतकिल होने निर्देश पर इसी दिनांक को उभयपक्ष को दिनांक 6—8—2002 को उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ न्यायालय में उपस्थित होने बाबत निर्देश आदेशिका में उल्लेखित है। पत्रावली स्थानांतरित होने पश्चात आगे तीन दिनांकों पर वकुलाय फरीकेन की उपस्थिति होकर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को जवाब हेतु अवसर दिया गया तथा दिनांक 7—11—2002 को जवाब दावा प्रस्तुत न करने पर उनका जवाब दावा बंद कर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 6—5—2003 को एवं इसके पश्चात अपीलार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये। शेष प्रतिवादी संख्या 6 से 8 के विरूद्ध दिनांक 7—11—2002 को एकपक्षीय कार्यवाही हुई। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य वादी लेते हुये प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनने उपरांत दिनांक 19—6—2003 को विस्तृत

विवेचन के साथ निर्णय करते हुये दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया। इस प्रकार आदेशिका के अवलोकन से स्थानांतरित न्यायालय में अधिवक्ता पक्षकारान को नियत दिनांक पर उपस्थित होने की दिनांक उपखण्ड अधिकारी न्यायालय फतेहपुर में नियत कर पत्रावली भिजवाये जाने तथा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय लक्ष्मणगढ़ में उनके अधिवक्ता की उपस्थिति होकर जवाब हेतु अवसर देने उपरांत भी जवाब दावा पेश न करने पर जवाब बंद करना तथा बाद में अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ता का न्यायालय में अनुपस्थित हो जाना स्पष्ट है, जिससे उन्हें सूचना न होने व एकपक्षीय कार्यवाही होने के प्रतिरक्षा आधार स्वीकारयोग्य नहीं हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा निर्णय दिनांक 19–6–2003 के विरूद्ध दिनांक 29–7–2005 को अपील प्रस्तुत की जाने पर न्यायालय ने मियाद बिंदु, विलम्ब के प्रस्तुत आधार, अपीलार्थीगण को निर्णय की जानकारी होने आदि बिंदुओं के साथ–साथ प्रकरण को गुणावगुण पर भी विश्लेषित करते हुये स्पष्ट व विस्तृत विवेचन के साथ प्रदत्त निर्णय दिनांक 21–12–2005 द्वारा अपील अस्वीकार की गई है, जिसमें हम कोई त्रुटि होना नहीं मानते हैं। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने उपरांत प्रत्यर्थी को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि हेतु खातेदार घोषित किया गया है, जिसमें तथ्य अथवा विधि की भूल की जाना परिलक्षित नहीं होता है। निश्कर्षतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होकर स्वीकारयोग्य नहीं है।

**8–** अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–12–2005 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**(कमला अलारिया)**
**सदस्य**

**(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)**
**सदस्य**